



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2828]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940

No. 2828]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/SHRAVANA 3, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

सं. 20/2015–2020

का.आ. 3612(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 35/2015–2020 के अधिक्रमण में आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची – I (आयात नीति) के अध्याय 8 के एकिजम कोड 0802 80 के तहत सुपारी की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

एकिजम कोड	मद विवरण	नीति	संशोधित नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्तें
					सुपारी
08028010	संपूर्ण	मुक्त	निषिद्ध	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/- रु. और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 251/- रु. और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।
08028020	विभाजित	मुक्त	निषिद्ध	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/- रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 251/- रु. और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।
08028030	पिसा हुआ	मुक्त	निषिद्ध	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/- रु. और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 251/- रु. और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।

08028090	अन्य	मुक्त	निषिद्ध	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/- रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ मूल्य 251/- रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।
----------	------	-------	---------	---	--

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: सुपारी का आयात सीआईएफ मूल्य 251 रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम पर मुक्त है और सीआईएफ मूल्य 251 रु० से नीचे आयात निषिद्ध है।

[फा. सं. 01/89/180/43/एम-01/पीसी-2(क) (खण्ड-II)/ई-1256]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2018

No. 20/2015-2020

S.O. 3612(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby, in supersession of Notification No.35/2015-2020 dated 17 January, 2017, amends the Import Policy of arecanut under Exim Code 0802 80 of Chapter 8 of ITC (HS) 2017, Schedule 1 (Import Policy) as under:

Exim Code	Item Description	Policy	Revised Policy	Existing Policy Conditions	Revised Policy Conditions
	Areca Nuts:				
0802 80 10	Whole	Free	Prohibited	Provided CIF value is Rs. 251/- and above per Kilogram.	However, import is free if CIF value is Rs. 251/- and above per Kilogram.
0802 80 20	Split	Free	Prohibited	Provided CIF value is Rs. 251/- and above per Kilogram.	However, import is free if CIF value is Rs. 251/- and above per Kilogram.
0802 80 30	Ground	Free	Prohibited	Provided CIF value is Rs. 251/- and above per Kilogram.	However, import is free if CIF value is Rs. 251/- and above per Kilogram.
0802 80 90	Other	Free	Prohibited	Provided CIF value is Rs. 251/- and above per Kilogram.	However, import is free if CIF value is Rs. 251/- and above per Kilogram.

2. Effect of this Notification : Import of arecanut over and above CIF Rs.251/ per kilogram is free and import below CIF Rs. 251 is prohibited.

[F. No. 01/89/180/43/AM-01/PC-2 (A)(Vol-II)/e-1256]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade